

A-110
Secretary/land
DHC-III
18/12

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम श्री गुरुनानक देव सत्संग सभा एज्युकेशन बोर्ड राजपूर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) बालदेव सिंह
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. गौविन्द मार्ग, गुरुद्वारा राजपूर के पास
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य शैक्षणिक कार्यों के लिए
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) लगभग 15,000 वर्ग मीटर
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 15,000 वर्ग मी.
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण NO
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - ✓ i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ✓ ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - ✓ iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट
 - ✓ iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - ✓ v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - ✓ vi. रूपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

CEM
Pl. process
18/12

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान : राजपूर

नाम व पद बालदेव सिंह
(सहायक सचिव)

Baldev Singh
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	श्री सुभाष चंद्र लाल शर्मा एडवोकेट, जयपुर
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	इंदिरागांधी नगर, जयपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	15000 वर्ग मीटर, जयपुर
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	96/196465
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	लगातार है
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	शैक्षणिक
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक ससाधनों का विवरण।	

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	दिलाल के लम्बी काल से शैक्षणिक काम
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस क्या संख्या को पूर्ण में कमी इतनी एक्टर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हा तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	- NO -
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	रियायती दर पर
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	DD 5000/2 Secy R-MB
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	नगर निगम
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	- NO -
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	शैक्षणिक
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	रियायती दर पर
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	- NO -
अन्य विवरण	

Signature

राजस्थान सरकार

श्रीम

राजस्थानीकरण प्रमाण - पत्र

सं. 96-176465

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुरुनानक देव
सतसम समा सन्मुखान श्री कपुर का राजस्थान संस्था राजस्थानीकरण
अधिनियम 1958 [राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958] के अन्तर्गत
राजस्थानीकरण प्राप्त किया गया ।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और जायसिय की शीतल
आव दिनांक दो माह अन्तरी मनु एक हवार नौ नौ देतठ
श्री कपुर में दिया गया ।

श्रीम

डः विष्णुदेव
राजस्थान संस्था, कपुर
कपुर.

Balraj M

Secretary General
Shri Gurunanak Dev Sat Sang
Sabha Education Board
Jaipur